[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2024- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. (अ).- जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "सोलर पैनल /मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड अल्युमिनियम फ्रेम"(एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7610 9010, 7610 9030 और 7616 9990 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/7/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024, के तहत दिनांक 29 जून, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देश से पाटित मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटन ने घरेलू उद्योग की स्थापना को धीमा कर दिया है ;

(iii) घरेलू उद्योग की स्थापना में भौतिक बाधा विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित मूल्य पर आयात के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त तालिका के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के

बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः -

तालिका

क्र. सं	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/ निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7610 9010, 7610 9030, 7616 9990	सोलर पैनल /मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड अल्युमिनियम फ्रेम	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन टिंजे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	433	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन युआनशुओ मेटल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	505	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांग्सू यूजिया मेटालिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	403	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगयिन हैहोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	418	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
					जियांगयिन हैहोंग सॉलिड-एफएसडब्लू कंपनी लिमिटेड			

5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	मेसर्स झेजियांग जियाक्सिंग ताइहे न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	511	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
					मेसर्स जियाक्सिंग यूजिया मेटल प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड			
6.	-वही-	-वही-	चीन. जन. गण.	चीन. जन. गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 1-5 के अलावा कोई अन्य	577	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर
7.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन. जन. गण.	उपरोक्त क्रम संख्या 1-5 के अलावा कोई अन्य	577	मी.ट.	अमेरिकी डॉलर

नोटः- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. -190354/132/2024-टीआरयू]

(अमीता टाइटस)

उप सचिव, भारत सरकार